



चल-अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण और पुननिर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4)
(सरफेसी अधिनियम, 2002) साथ में पठित प्रतिभूति हित (नियमों, 2002 के नियम 6 (2) और / या
नियम 8 (6) के अधीन नीलामी सूचना

जैसाकि उक्त कथित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अधीन और कथित अधिनियम की धारा 13 (2) में पठित नियम 3 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बड़ौदा यू.पी. बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक मांग सूचना जारी की जिसमें तथा कर्जदार (रॉ) और गारंटीदाता (ऑ) / बंधककर्ता (ऑ) को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना के अनुसार राशि का भुगतान करने को कहा गया और जैसाकि कर्जदार (रॉ) / गारंटीदाता (ऑ) / बंधककर्ता (ऑ) / ने राशि का भुगतान नहीं किया और अतः अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13 (4) साथ में पठित नियमों के नियम 4 और / या नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति / संपत्तियों (इसके बाद कथित सम्पत्तियों नाम से निर्दिष्ट का कब्जा ले लिया है जैसा कि अधोहस्ताक्षरी, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) (ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में कथित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंक के बकायों की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं। एतद्वारा जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रॉ) और गारंटीदाता (ऑ) / बंधककर्ता (ऑ) को सूचना दी जाती है कि निम्नवर्णित चल-अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदारों के पास बंधक / प्रभारित पड़ी है, जिसका रचनात्मक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक प्रतिभूत लेनदार द्वारा से लिया गया है, जिसे निम्नांकित बकायों की वसूली हेतु निम्नांकित कार्पनी में अंकितानुसार तिथि को "जैसा है जहाँ है" जैसा है जो है" और "जो है वही है" आधार पर बेचा जायेगा। जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रॉ) और गारंटीदाता (ऑ) / बंधककर्ता (ऑ) को एतद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन निम्नांकित चल-अचल सम्पत्तियों के लिए बोली/निविदाएं/कोटेशन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों / बोलीदाताओं को 16.11.2023 को या उससे पहले, बड़ौदा यू. पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, सिविल लाइन्स, देवरिया में मुहरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। निविदा 17.11.2023 को खोली जायेगी।

क्र. सं.	बैंक के ऋणियों/जमानतदारों के नाम व पता	संपत्तियों का विवरण ज्ञात अतिक्रमण सहित यदि कोई हो	कुल बकाया	नीलामी की तिथि समय	आरक्षित धनराशि/ अग्रिम धनराशि	कब्जा की तिथि (प्रतीकात्मक/भौतिक)
1	ऋणी का नाम-श्रीमती सुरैया रशीद पत्नी श्री आरिफ़ रशीद मोंदाडीह टप्पा-देवरिया परगना-सलेमपुर मझौली, तहसील व जनपद-देवरिया, शाखा- देवरिया	अराजी सं. 282 मी., कुल रकबा - 78.99 वर्ग मीटर स्थित मौजा-मोंदाडीह टप्पा-देवरिया परगना-सलेमपुर मझौली, तहसील व जनपद-देवरिया वास्तविक चौहद्दी- पूरब-6'00" चौड़ा रास्ता, पश्चिम-नेबू लाल की जमीन, उत्तर-कैलाश की जमीन, दक्षिण -बिस्मिल्ला खां की जमीन	रु. 486280/- +अप्रभारित ब्याज +अन्य खर्चें	17.11.2023	रु. 750000/- (आरक्षित धनराशि) रु.750000/- (अग्रिम धनराशि)	सांकेतिक
2	ऋणी का नाम-मेसर्स रीता ट्रेडर्स प्रो. राहुल मृगवानी वार्ड सं. 7, मौजा भरौली बाजार, सोमनाथ नगर तहसील व जनपद-देवरिया, शाखा - देवरिया	अराजी सं. 480, रकबा - 60.75 वर्ग मीटर स्थित वार्ड सं.7, मौजा भरौली बाजार, सोमनाथ नगर तहसील व जनपद- देवरिया, वास्तविक चौहद्दी-पूरब -रास्ता, पश्चिम-सोमारी इत्यादी की जमीन, उत्तर-राम आशीष इत्यादि की जमीन, दक्षिण - श्रीकांत इत्यादि की जमीन	रु. 900000/- +अप्रभारित ब्याज +अन्य खर्चें	17.11.2023	रु. 1750000/- (आरक्षित धनराशि) रु. 175000/- (अग्रिम धनराशि)	सांकेतिक
3	ऋणी का नाम-मेसर्स के. डी. इंटरप्राइसेस प्रो. उमेश चन्द्र गुप्ता मौजा-पिंडरा, टप्पा-गोबरई, परगना-सलेमपुर मझौली तहसील व जनपद-देवरिया, शाखा- देवरिया	अराजी सं. 482,483,484 रकबा - 141.73 वर्ग मीटर स्थित मौजा-पिंडरा, टप्पा - गोबरई, परगना-सलेमपुर मझौली तहसील व जनपद - देवरिया, वास्तविक चौहद्दी-पूरब -रामयाद की जमीन, पश्चिम -जी.एस., उत्तर-देव नारायण की जमीन दक्षिण- लाल चंद की जमीन	रु. 927912.80/- +अप्रभारित ब्याज +अन्य खर्चें	17.11.2023	रु. 1650000/- (आरक्षित धनराशि) रु. 165000/- (अग्रिम धनराशि)	सांकेतिक
4	ऋणी का नाम-मेसर्स अष्टलक्ष्मी प्रो. विनोद कुमार तिवारी मौजा-अमेठी (अन्दर नगर पालिका), टप्पा -देवरिया परगना -सलेमपुर मझौली तहसील व जनपद-देवरिया, शाखा - देवरिया	अराजी सं. 571 रकबा - 212.41 वर्ग मीटर स्थित -मौजा - अमेठी (अन्दर नगर पालिका), टप्पा-देवरिया परगना-सलेमपुर मझौली तहसील व जनपद -देवरिया वास्तविक चौहद्दी - पूरब - दुसरे की जमीन, पश्चिम- उमेश की जमीन, उत्तर- स्वामी की जमीन, दक्षिण-श्रीमती सत्य भामा की जमीन	रु. 1618549/- +अप्रभारित ब्याज +अन्य खर्चें	17.11.2023	रु. 2600000/- (आरक्षित धनराशि) रु. 260000/- (अग्रिम धनराशि)	सांकेतिक
5	ऋणी का नाम -माँ वैष्णो बैटरी प्रो. विनोद गुप्ता ग्राम -गरुलपार टप्पा - गोबरई परगना -सलेमपुर मझौली, तहसील व जनपद - देवरिया, शाखा - देवरिया	अराजी सं.467/3 मी., रकबा - 70 वर्ग मीटर स्थित ग्राम -गरुलपार टप्पा-गोबरई परगना-सलेमपुर मझौली, तहसील व जनपद -देवरिया वास्तविक चौहद्दी-पूरब -व्यास सिंह का मकान, पश्चिम -हरीश चन्द्र यादव का मकान, उत्तर -हरीश चन्द्र यादव का मकान, दक्षिण - 12' चौड़ा रास्ता	रु. 972678/- +अप्रभारित ब्याज +अन्य खर्चें	17.11.2023	रु. 2400000/- (आरक्षित धनराशि) रु. 240000/- (अग्रिम धनराशि)	सांकेतिक
6	ऋणी का नाम-श्री मनोज कुमार गुप्ता पुत्र श्री मोहन लाल गुप्ता मौजा-देवरिया खास (नगर अन्दर) टप्पा -देवरिया, परगना सलेमपुर मझौली, तहसील व जनपद- देवरिया, शाखा-देवरिया	अराजी सं. 1710 Mi,1711Mi. रकबा - 136.55 वर्ग मीटर स्थित मौजा- देवरिया खास (नगर अन्दर) टप्पा -देवरिया, परगना सलेमपुर मझौली, तहसील व जनपद - देवरिया, पूरब - नमिता की जमीन, पश्चिम-सड़क, उत्तर-कौशलया देवी की जमीन दक्षिण -शीला देवी की जमीन	रु. .384968/- +अप्रभारित ब्याज +अन्य खर्चें	17.11.2023	रु. 940000/- (आरक्षित धनराशि) रु. 94000/- (अग्रिम धनराशि)	सांकेतिक
7	ऋणी का नाम-श्री जितेन्द्र गोंड लखना उर्फ डोमडीह,टप्पा-हवेली, परगना-सलेमपुर मझौली तहसील-भाटपाररानी, जनपद-देवरिया शाखा-भाटपाररानी	मकान सं.-06 रकबा-479.28 वर्ग मीटर मौजा - लखना उर्फ डोमडीह, टप्पा -हवेली , परगना-सलेमपुर मझौली तहसील-भाटपाररानी, जनपद -देवरिया, वास्तविक चौहद्दी-पूरब - क्रेता की जमीन, पश्चिम-गायत्री देवी की जमीन उत्तर-रास्ता, दक्षिण-शिव मंगल की कृषि भूमि	रु. 2155585/- +अप्रभारित ब्याज +अन्य खर्चें	17.11.2023	रु. 5693000/- (आरक्षित धनराशि) रु. 569300/- (अग्रिम धनराशि)	सांकेतिक
8	ऋणी का नाम-श्री हरे राम यादव पुत्र श्री गुलाब यादव, मौजा-टेघरा टप्पा-घाटी परगना-सलेमपुर मझौली तहसील-सलेमपुर जनपद-देवरिया शाखा-भटनी	अराजी सं. 659 & 670 रकबा-1020 वर्ग मीटर स्थित मौजा-टेघरा, टप्पा-घाटी, परगना-सलेमपुर मझौली तहसील -सलेमपुर जनपद - देवरिया, वास्तविक चौहद्दी -पूरब - गुलाब की जमीन, पश्चिम - मोती चन्द्र व अन्य की जमीन, उत्तर-रास्ता, दक्षिण-अयोध्या व अन्य की जमीन	रु. 1501017/- +अप्रभारित ब्याज +अन्य खर्चें	17.11.2023	रु. 3488000/- (आरक्षित धनराशि) रु. 348800/- (अग्रिम धनराशि)	सांकेतिक
9	ऋणी का नाम-मेसर्स हैप्पी हैण्ड्री क्राफ्ट प्रो. गजानंद गुप्ता निवासी -सलाहाबाद, सलेमपुर जनपद - देवरिया शाखा-सलेमपुर	अराजी सं.186 & 204 रकबा-194 वर्ग मीटर ग्राम-भरौली टप्पा-सलेमपुर, परगना-सलेमपुर मझौली तहसील - सलेमपुर जनपद - देवरिया वास्तविक चौहद्दी -पूरब - विवेक की जमीन, पश्चिम - आशा देवी की जमीन उत्तर - रास्ता, दक्षिण -कमलेश की जमीन	रु. 880178/- +अप्रभारित ब्याज +अन्य खर्चें	17.11.2023	रु. 1800000/- (आरक्षित धनराशि) रु. 180000/- (अग्रिम धनराशि)	सांकेतिक
10	ऋणी का नाम-श्रीमती सुभावती देवी पत्नी श्री राजेंद्र राजभरमौजा -धनपुरवा टप्पा- पुरैना, परगना-सलेमपुरमझौली तहसील-सलेमपुर जनपद - देवरिया शाखा-सलेमपुर	अराजी सं. 343, रकबा - 80 वर्ग मीटर मौजा-धनपुरवा टप्पा-पुरैना, परगना-सलेमपुर मझौली तहसील- सलेमपुर जनपद-देवरिया, वास्तविक चौहद्दी-पूरब -श्री सुखदेव का मकान, पश्चिम -विक्रेता की जमीन, उत्तर-30 फिट चौड़ा रास्ता, दक्षिण - मुनीब की जमीन	रु. 339951/- +अप्रभारित ब्याज +अन्य खर्चें	17.11.2023	रु. 1350000/- (आरक्षित धनराशि) रु. 135000/- (अग्रिम धनराशि)	सांकेतिक
11	ऋणी का नाम-श्री समीर कुमार पाण्डेय ग्राम - केहुनिया पोस्ट - पकड़ी बाबू जनपद - देवरिया शाखा-भाटपाररानी	वाहन का प्रकार : ट्रेक्टर आयशर 242, मॉडल 2014 ,रजिस्ट्रेशन नं. UP52 AD0556 इंजन सं. 42498 चेसिस नं. 299304	रु. 90000/- +अप्रभारित ब्याज +अन्य खर्चें	17.11.2023	रु. 90000/- (आरक्षित धनराशि) रु. 9000/- (अग्रिम धनराशि)	भौतिक
12	ऋणी का नाम-श्री शाहिद अली मोहल्ला - राम गुलाम टोला देवरिया शाखा-कलेक्ट्रेट देवरिया	वाहन का प्रकार : कार (टाटा विस्टा एक्वा टी.डी.आई.), मॉडल 2012 ,रजिस्ट्रेशन नं. UP52F 9086 इंजन सं. 214547 चेसिस नं. 14121	रु. 36000/- +अप्रभारित ब्याज +अन्य खर्चें	17.11.2023	रु. 36000/- (आरक्षित धनराशि) रु. 3600/- (अग्रिम धनराशि)	भौतिक
13	ऋणी का नाम - श्री राम सेवक ग्राम - बौरडीह, रूद्रपुर जनपद -देवरिया शाखा-कन्हौली	वाहन का प्रकार : ट्रेक्टर, महिंद्रा अर्जुन 605 DI, मॉडल 2016 ,रजिस्ट्रेशन नं. UP52AF6126 इंजन सं. N 8 MAD 1643 चेसिस नं. N8MAD1643	रु. 132000/- +अप्रभारित ब्याज +अन्य खर्चें	17.11.2023	रु. 132000/- (आरक्षित धनराशि) रु. 13200/- (अग्रिम धनराशि)	भौतिक

बिक्री के नियम एवं शर्तें: 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। (लिफाफे के ऊपर स्पष्टतः और पठनीय बोली क्रम सं. एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए। 2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में देवरिया में देय योग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. के पक्ष में डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा / संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा और शेष सफल बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 3. सफल बोलीदाता को डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में उसी दिन / अगले दिन बोली रकम (ईएमडी शामिल रहेगा) का 25% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब्त कर ली जाएगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली/ सर्वोच्च बोली को स्वीकार / अस्वीकार / रद्द / निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री / नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रभारों / देनदारियों / भार करों / सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। 6. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। 7. यदि ऐसा पाया जाता है कि दो या अधिक बोलीदाताओं का एक समान बोली रकम है तो प्राधिकृत अधिकारी उनके मध्य पुनः नयी बोली आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 8. बोली / बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो कुछ है" और "वहाँ जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जा रहा है। 9. अगर कोई कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकाये का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जाएगा। हालांकि कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता के पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूत आस्तियों को निर्गत करने का अवसर होगा जो प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 के उपधारा (8) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन संशोधन नियमों 2002 द्वारा) के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रभारों के भुगतान के अधीन होगा। 10. यह बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि वे सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं पुष्ट हो लें। ये अपराह्न 12:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर संबंधित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख / निरीक्षण कर सकते हैं। 11. यह बिक्री नोटिस कर्जदारों / गारंटीदाता (ऑ) / बंधककर्ता (ऑ) के लिए विशेष रूप से तथा जनता / सर्वसाधारण के लिए सामान्य रूप से है। 12. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गये लिंक यानी <https://www.barodaupbank.com/sarfaesnotice.php> सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की बिक्री सूचना कर्जदारों / गारंटीदाताओं / कानूनी वारिसों / बंधककर्ता (ऑ) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकायों का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो ऐसे उचित ब्याज प्रभारों एवं व्यय के साथ उनसे वसूल किया जाएगा।